उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

सं० 2003 - काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 10 - 4 (6) पी / 86 (टी०सी०) दिनांक 30 नवम्बर, 2010

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-। एवं ।।),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय-- **कार्यालय ज्ञाप सं० 508-काविनी/पाकालि-29/06-4(6)पी/86 (टी०सी०) दिनांक 11.09.2006 एवं कार्यालय ज्ञाप सं० 724-काविनी/पाकालि-29/06-4(6) पी/86 (टी०सी०) दिनांक 20.11.2006 द्वारा दिनांक 22.06.2005 से अनुमन्य कराये गये तृतीय समयबद्ध वेतनमान 8550-13500 (अपुनरीक्षित) के सापेक्ष दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण एवं सेवानैवृत्तिक देयों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कारपोरेशन द्वारा पूर्व निर्गत स्पष्टीकरण आदेश सं० 793-काविनी / पाकालि-29 / 07-4(6)पी / 86 दिनांक 27.10.2007 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 22.06.2005 से अनुमन्य किये गये तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू० 8550-13500 में वेतन निर्धारण, पेंशन / पारिवारिक पेंशन का निर्धारण तथा सेवानैवृत्तिक मामलों में ग्रेच्युटी (उपादान) एवं राशिकरण की अनुमन्यता इत्यादि के सन्दर्भ में स्थितियाँ स्पष्ट की गई थी।

2. छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा यह जिज्ञासायें की गई हैं कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 508-काविनी / पाकालि-29 / 06-4(6)पी / 86(टी०सी०) दिनांक 11.09.2006 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं० 724-काविनी / पाकालि-29 / 06-4(6)पी / 86(टी०सी०) दिनांक 20.11.06 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.05 से रू० 8550-13500 का तृतीय समयबद्ध वेतनमान प्राप्त किये हुए कार्मिकों का दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण / पुनरीक्षण किस प्रकार किया जायेगा।

3. *उपरोक्त उठायी गई जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु आपको निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :-*

क्रम सं०	व्यक्त की गई जिज्ञासाएं	स्पष्टीकरण
1.	दिनांक 22.06.2005 से तृतीय समयबद्ध वेतनमान 8550-13500 अनुमन्यता में दिनांक 11.09.2006	दिनांक 01.01.2006 से 11.09.2006 के मध्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन निम्नांकित दो अपुनरीक्षित (वास्तविक / प्रकल्पित) रूप

	तक अवशेष दिया जाना प्रतिबंधित है, अतः संबंधित कर्मचारीगणों का वास्तविक आहरित वेतनमान 6500–11000 है। वेतन पुनरीक्षण विषयक आदेश सं० 175–काविनी एवं वे०प्र०–29 दिनांक 19.02.09 के अनुसार दिनांक 01.01.06 से 11.09.2006 के मध्य वेतन पुनरीक्षण एवं अवशेष की देयता किस प्रकार निर्धारित की जाएगी ?	में अनुमन्य वेतनमानों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा – (क) दिनांक 01.01.2006 से 11.09.2006 के मध्य वेतनमान 6500–11000 में वास्तविक वेतन आहरित हुआ है इसलिए इस अवधि का वेतन पुनरीक्षण/अवशेष देयता के संबंध में दिनांक 01.01.2006 को रू0 6500–11000 के आहरित वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का पुनरीक्षण/अवशेष की देयता निर्धारित की जायेगी। (ख) दिनांक 22.06.05 से अनुमन्य कराए गए तृतीय समयबद्ध वेतनमान 8550–13500 में दिनांक 11.09.06 तक अवशेष देय नहीं हैं, अतः सम्बन्धित मामलों में प्रभावित कार्मिकों का दिनांक 01.01.06 से 11.09.06 की अवधि में प्रकल्पित रूप में अनुमन्य वेतनमान 8550–13500 के आधार पर, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण प्रकल्पित माना जाएगा। दिनांक 12.09.06 एवं अग्रतर उक्त पुनरीक्षित वेतन वास्तविक वेतन होगा। वेतन का पुनरीक्षण का०ज्ञा० सं० 175–काविनी एवं वे०प्र०–29 दिनांक 19.02.09 में निहित प्रकिया के अनुसार किया जांएगा।
2.	दिनांक 01.01.2006 से 11.09.2006 तक वेतनमान 8550–13500 के सापेक्ष वेतन बैण्ड 15600– 39100 होगा एवं अवशेष देय होगा अथवा नहीं ? अथवा वास्तविक आहरित वेतनमान 6500–11000 के सापेक्ष वेतन बैण्ड – 9300–34800 में वेतन निर्धारण होगा ?	दिनांक 01.01.06 से 11.09.06 तक वेतनमान 8550–13500 के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण प्रकल्पित होने एवं अवशेष देय न होने के कारण दिनांक 01.01.06 से 11.09.06 तक वास्तविक रूप से अनुमन्य रहे वेतनमान 6500–11000 के सापेक्ष पुनरीक्षित वेतन संरचना में अवशेष देय होंगें। वेतन बैण्ड का निर्धारण का०ज्ञा० 175–काविनी एवं वे०प्र०–29 दि० 19.02.09 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
3.	ऐसे कार्मिक, जिन्हें कारपोरेशन के आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 22.06.05 से 8550–13500 तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य किया गया था एवं जो दिनांक 01.01.06 से 11.09.2006 के मध्य सेवानिवृत्त अथवा अन्य किसी कारण से सेवा में न रहे हों, उन्हें दिनांक 01.01.2006 से वेतन बैण्ड 9300–34800 के सापेक्ष ग्रेड वेतन 4800/– के स्थान पर अगला ग्रेड वेतन 5400/– में पेंशनरी लाभों	वेतनमान रू० 8550–13500, तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में प्राप्त कार्मिकों को यह वेतनमान दि० 01.01.06 से 11.09.06 तक प्रकल्पित रूप में अनुमन्य है एवं वास्तविक आहरण नहीं कराया गया है, अतः ऐसे मामलों में इस अवधि में वास्तविक आहरित वेतनमान रू० 6500–11000 के आधार पर दि० 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर ही पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 12.09.06 एवं अग्रेतर अवधि के मात्र पेंशन का आंकलन एवं भुगतान रू० 8550–13500 के वेतनमान के सापेक्ष दिनांक

क्रमशः...3

	यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण एवं अवशेष अर्जित अवकाश नकदीकरण को पुनरीक्षित किया जा सकता है अथवा नहीं ?	01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन के आधार पर किया जाएगा। वेतन बैण्ड का निर्धारण का०ज्ञा० 175–काविनी एवं वे०प्र०–29 दि० 19.02.09 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

कृपया सम्बन्धित प्रकरण उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
30/XI/10
(आर० के० पाण्डेय)
अपर सचिव (प्रथम)

सं0 2003 (I)– काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010 – तददिनांकित 30 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पा०ट्रां०का०लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- अनु सचिव (सचिवालय प्रशासन–लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी,उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
16- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,
30/XI/10
(आर० के० पाण्डेय)
अपर सचिव (प्रथम)